



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170058

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 7719/2026

नीतीश कुमार यादव

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : सौरभ पाण्डेय

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- 1- आज दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
- 2- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ पाण्डेय, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- 3- वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 101 वर्ष 2026, धारा 3(1) उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- 4- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और वर्तमान प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है; कथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदक की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध केवल एक प्रकरण दर्शाया गया है और उक्त प्रकरण में आवेदक जमानत पर है। दो प्रकरणों के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण पूरक शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 2 में किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5- उन्होंने आगे कहा कि प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध लोक व्यवस्था भंग करने तथा अनुचित लौकिक, आर्थिक, भौतिक अथवा इसी प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करने के संबंध में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं। आगे कहा गया कि अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित "गैंग" और "गैंगस्टर" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले किसी अभियुक्त के किसी कृत्य अथवा लोप से संबंधित आरोप के अभाव में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पोषणीय नहीं है। वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लंबित आपराधिक प्रकरण/प्रकरणों पर आधारित है और किसी ऐसे नए आरोप अथवा तथ्य की खोज पर आधारित नहीं है, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव हो और जिसके उद्देश्य से उक्त अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

6- उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग प्रतिशोध लेने अथवा नागरिकों को परेशान करने या भयभीत करने अथवा राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर अपने प्रतिद्वंद्वियों से हिसाब चुकता करने के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।

7- उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन द्वारा अच्छा कार्य प्रदर्शित करने अथवा उच्च सरकारी अधिकारियों या सत्तारूढ़ दल से प्रशंसा अथवा सराहना प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है, जो अनुचित है।

8- उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर उल्लिखित प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए, यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं कि आवेदक गैंगस्टर्स अधिनियम के अंतर्गत अपराध का दोषी नहीं है और अग्रिम जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध कारित नहीं करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अग्रिम जमानत पर रहते हुए आवेदक न तो कोई अपराध/अपराध कारित करेगा और न ही किसी भी प्रकार से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने अथवा साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास करेगा।

9- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

10- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि गैंग चार्ट में उल्लिखित प्रकरणों में आवेदक जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। तथापि, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है और अपराध करने का अभ्यस्त है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः इसी प्रकार की समाज-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होगा और अभियोजन साक्षियों को धमकी एवं भयादोहन देकर जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

11- मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

12- उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नवत् है:-

"(4)- संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर अथवा उसके स्वयं के बंधपत्र पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(a)- लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो; और

(b)- जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।"

13- उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य, गैंग चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

14- सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020)

5 एससीसी 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा विवेचना की दिशा को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को धमकाना भी शामिल है, की संभावना, न्याय से फरार होने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाने की संभावना आदि पर विचार करना होता है। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारणीय तत्वों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

15- **सिद्धार्थ बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण 676** में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है, जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा वह जघन्य अपराध हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह अनिवार्य नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा या समन की अवहेलना करेगा और उसने वास्तव में पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

16- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के सभी संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों द्वारा पूर्णतः आच्छादित होने के कारण, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

17- तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन निम्नलिखित निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i)- उपर्युक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक-**नितीश कुमार यादव** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण के निष्कर्ष तक सक्षम न्यायालय के समक्ष 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा;

(ii)- आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित किया जाएगा, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii)- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए; और

(iv)- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।

18- किसी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

13 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय